



पत्रांक :- Acctts/130/2013-14/Part-I/ **2152**

दिनांक :- **19**/03/2021

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),  
बिहार शिक्षा परियोजना,  
सभी जिले।

विषय:- गैर असैनिक असमायोजित अग्रिम राशि के समायोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 तक के असमायोजित अग्रिम दिनांक 15.03.2021 तक अभी भी **1290.59 करोड़** समायोजन हेतु लंबित है। जिला कार्यालय में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जबकि कार्यालय पत्रांक 2995 दिनांक 25.06.2020 द्वारा निदेश दिये गये थे कि गैर असैनिक अग्रिम राशि का समायोजन किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाय, परन्तु 31.03.2020 तक का अग्रिम समायोजन अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है।

अतः गैर असैनिक असमायोजित अग्रिम राशि के समायोजन हेतु पुनः स्पष्ट निदेश दिये जाते हैं :-

1. प्रखंड संसाधन केन्द्र पर प्रति माह गुरु गोष्ठी की बैठक कराना सुनिश्चित किया जाय तथा उसी गुरु गोष्ठी में प्राप्ति रसीद देते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय।
2. जिन प्रखंड संसाधन केन्द्र के विद्यालयों में असमायोजित अग्रिम राशि अधिक है। उन प्रखंड संसाधन केन्द्र में विशेष कैंप लगाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय।
3. प्रखंड संसाधन केन्द्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) की होगी एवं इसका अनुश्रवण जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।
4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र को मद्दवार, वर्षवार विवरणी बनवाकर जिला कार्यालय के आगत शाखा में जमा करेंगे।



5. जिला कार्यालय के आगत शाखा में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र को लेखा शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा, लेखा शाखा द्वारा एक पंजी में संधारण करेंगे। पंजी में अंकित क्रम संख्या को प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र में अंकित करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) को संभाग प्रभारी को पृष्ठांकित करने के लिए टिप्पणी करेंगे।
6. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को संभाग प्रभारियों को पृष्ठांकित (Endorse) करेंगे। संबंधित संभाग प्रभारी तीन दिनों के अन्दर प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की जाँच कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)/जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समायोजन का आदेश प्राप्त कर लेखा शाखा को संचिका उपलब्ध करेंगे।
7. लेखा शाखा संचिका प्राप्ति के तिथि के दो दिनों के अन्दर लेखा में समायोजन के साथ-साथ पूर्व से निर्धारित पंजी में भी समायोजन करने के तिथि को अंकित करेंगे।
8. निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन के आदेश नहीं प्राप्त होने पर लेखा शाखा के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) को सूचना दी जायेगी। तत्पश्चात् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संबंधित संभाग कर्मियों से संचिका प्राप्त कर समायोजन का आदेश एवं संबंधित कर्मियों के संबंध में समय-सीमा में कार्य नहीं करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाई करने के लिए राज्य कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।
9. Composite School Grant (समग्र अनुदान) की राशि सामान्य मद् की है। इसका भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर इसी प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त किया जायेगा।
10. गुरु गोष्ठी की बैठक में उस प्रखंड के कनीय अभियन्ता भी उपस्थित रहेंगे।
11. उपरोक्त अंकित पत्र में दिये गये निदेश के अतिरिक्त यदि कोई जिला कार्यालय अग्रिम समायोजन हेतु कोई आदेश/पत्र निर्गत किया गया हो तो इसे रद्द किया जाता है।



अतः आपसे अपेक्षित है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कर पत्र के साथ संलग्न सूची-1 में अंकित असमायोजित अग्रिम राशि को कार्यक्रम वार सभी संभाग प्रभारी से समीक्षा कर दिनांक 31.03.2021 तक शत-प्रतिशत गैर असैनिक असमायोजित अग्रिम राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कोताही/असहयोग बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे अन्यथा समायोजन नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध विभाग को प्रतिवेदित कर दी जायेगी।

इसे अतिआवश्यक समझें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- Acctts/130/2013-14/Part-I/2152

दिनांक :- 19/03/2021

- प्रतिलिपि : (i) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
(ii) प्रशासी पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्तरीय कार्यालय एवं असैनिक कार्य प्रबंधक (प्रभारी) को निदेशित किया जाता है कि आप अपने संभाग से संबंधित असमायोजित अग्रिम राशि का समीक्षा कर समायोजन कराना सुनिश्चित किया जाय।


राज्य परियोजना निदेशक



451

**BIHAR EDUCATION PROJECT COUNCIL PATNA**  
**Outstanding Advance under Samagra Shiksha upto 2019-20**

Sl. No.	Name of District	Outstanding Advance as on 15.03.2021		
		General Head	Capital Head	Total
1	Madhubani	6512.47	3228.29	9740.76
2	E. Champaran	7195.95	2421.06	9617.01
3	Muzafferpur	6555.31	640.23	7195.54
4	Darbhanga	4158.41	2025.68	6184.10
5	Samastipur	4175.10	1724.17	5899.27
6	Aurangabad	4713.47	797.29	5510.77
7	Supaul	4491.02	915.60	5406.62
8	Araria	3905.96	1464.64	5370.60
9	Nalanda	4280.12	1048.72	5328.84
10	Khagaria	3735.89	1268.79	5004.69
11	Madhepura	3185.71	1414.17	4599.87
12	Sitamarhi	3417.08	650.98	4068.06
13	Gaya	2856.83	839.29	3696.12
14	Saran	2113.44	1445.96	3559.40
15	Purena	3038.02	409.39	3447.41
16	Nawada	2357.84	1040.90	3398.74
17	Patna	2371.25	953.93	3325.19
18	Saharsha	2327.80	734.90	3062.69
19	Vaishali	2037.37	866.72	2904.09
20	Bhojpur	1416.53	1404.56	2821.09
21	Katihar	1499.35	1289.66	2789.01
22	Gopalganj	2509.49	173.37	2682.87
23	Lakhisarai	1753.68	718.97	2472.65
24	Siwan	1185.10	1276.68	2461.78
25	W. Champaran	1911.99	448.81	2360.80
26	Jamui	1668.14	530.62	2198.76
27	Kishanganj	1435.24	166.84	1602.07
28	Bhagalpur	1178.75	406.02	1584.77
29	Jahanabad	1079.03	487.23	1566.26
30	Begusarai	879.13	597.38	1476.51
31	Kaimur	1031.24	380.56	1411.81
32	Munger	903.99	419.63	1323.63
33	Rohtas	733.56	494.34	1227.90
34	Buxer	909.16	294.53	1203.69
35	Banka	335.99	409.60	745.60
36	Sheohar	459.65	259.84	719.49
37	Sheikhpura	508.37	153.81	662.17
38	Arwal	386.28	42.16	428.44
<b>Total</b>		<b>95213.74</b>	<b>33845.32</b>	<b>129059.06</b>

  
 19/03/2021